

**न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)****पीठासीन अधिकारी - आलोक रंजन (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 022/2024(रसद) (GCMS 2024/337)	दायर दिनांक 27.11.2024	निर्णय दिनांक 25.02.2025
---	---------------------------	-----------------------------

**अनवान**

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

**प्रार्थी****बनाम**

किशन रेगर पिता कैलाश रेगर, प्रोपराईटर वाहन रिपेयर की दुकान, बस स्टैण्ड राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल नंबर 78778 90537)

**विपक्षी**

उपस्थिति :- प्रवर्तन अधिकारी  
एक तरफा

पैरोकार सरकार  
विपक्षी

**प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6-ए सप्लि के तहत जलशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत**

**--: निर्णय :-**

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.09.2024 को अवैध घरेलू गैस सिलेण्डर के दुरुपयोग के संबंध में कार्यवाही के दौरान विपक्षी द्वारा अवैध गैस रिफिलिंग की सूचना पर कार्यवाही के दौरान विपक्षी से जलशुदा सामग्री जिसका विवरण आवेदन अनुसार है के निस्तारण हेतु प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विपक्षी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है, एवं अंत में प्रार्थना की गई कि अभिग्रहित 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय उसमें भरी हुई 4.5 Kg. एवं रिफिलिंग मोटर एमआई बीएच 1 हा. पा. को राजसात करने की कृपा करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 25.02.2025 को विपक्षी के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षी की विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

इस पर हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण का निस्तारण किये जाने की ईशतदुआ की गई। इस पर पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि



राज्य सरकार के आदेश क्रमांक/एफ 65(1) खा.वि./एलपीजी/2024 दिनांक 10.09.2024 के क्रम में जिले में एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग से हो रही दुर्घटनाओं से जान-माल और राजस्व हानि को दृष्टिगत रखते हुए दुरुपयोग को रोकने के लिये जिले में सघन अभियान चलाने के निर्देश खाद्य विभाग से प्राप्त हुए एवं प्राप्त निर्देशों की पालना में दिनांक 20.09.2024 को गई। सूचना के आधार पर बस स्टैण्ड राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण विपक्षी किशन पिता कैलाश रेगर की उपस्थिति में किया गया। वक्त निरीक्षण 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं एवं रिफिलिंग मोटर एमआई बीएच 1 हा.पा. पाये जाने से पूछताछ करने पर एवं घरेलू गैस सिलेण्डर के संबंध में आवश्यक दस्तावेज मांगने पर किशन द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे विपक्षी से उक्त सामग्री अभिग्रहित की जाकर श्री प्रभुदर्शन पिता तुलसीराम रेगर (मोबाईल नंबर 9610005717) राशमी इण्डेन गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दिये गये हैं। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा घरेलू गैस का व्यापारिक उपयोग किया गया जिससे विपक्षी का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस व अन्य सामग्री राजसात (Confiscate) किये जाने योग्य है। अंत में प्रार्थना की गई कि अभिग्रहित 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय उसमें भरी हुई 4.5 Kg. एवं रिफिलिंग मोटर एमआई बीएच 1 हा.पा. को राजसात करने की कृपा करें। इसी ईशतदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन-मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। जिला रसद अधिकारी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कराये दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका एवं जब्ती का अवलोकन किया। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा विपक्षी की दुकान का मुआयना करने पर मौके पर विपक्षी के कब्जे में 03 घरेलू गैस सिलेण्डर अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों के संबंध में वैद्य दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके साथ ही विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे हैं जिससे विपक्षी की और से आवेदन का किसी भी प्रकार से खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डरों से अवैध व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन)



आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अपनी दुकान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाता है, ऐसी स्थिति में विपक्षी से जप्त शुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय उसमें भरी हुई 4.5 Kg. एवं रिफिलिंग मोटर एमआई बीएच 1 हा.पा. राजसात (Confiscate) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 20.09.2024 को प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी किशन रेगर पिता कैलाश रेगर, प्रोपराईटर वाहन रिपेयर की दुकान, बस स्टैण्ड राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ की दुकान से जप्त शुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय उसमें भरी हुई 4.5 Kg. एवं रिफिलिंग मोटर एमआई बीएच 1 हा.पा. राजसात (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों एवं अन्य सामग्री के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जप्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **25.02.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)  
जिला कलक्टर,  
चित्तौड़गढ़

